

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

लखनऊ, झाँसी, आजमगढ़, अलीगढ़ एवं वाराणसी ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 22-07-2026

विषय: :- प्रदेश के 05 जनपदों में स्थापित हो रहे डॉप्लर वेदर रडार स्थलों पर अतिरिक्त आवश्यक कार्यो हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या:-10334/रा०आ०का०/2026-27, दिनांक 17.07.2026 (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के 05 जनपदों में स्थापित हो रहे डॉप्लर वेदर रडार स्थलों पर अतिरिक्त आवश्यक कार्यो हेतु कुल ₹0 154.08 लाख (रुपये एक करोड़ चौवन लाख आठ हजार मात्र) धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से संबंधित जनपदों को निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 16.06.2026 में प्राप्त संसुति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 01.07.2026 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 05 जनपदों में स्थापित हो रहे डॉप्लर वेदर रडार स्थलों पर अतिरिक्त आवश्यक कार्यो हेतु निम्नानुसार कुल धनराशि ₹0 1,54,08,000/- (₹0 एक करोड़ चौवन लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

क्रम सं०	जनपद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	लखनऊ	97.98
2	झाँसी	23.54
3	आजमगढ़	1.48
4	अलीगढ़	10.50
		20.58

5	वाराणसी	
कुल		154.08
(रूपये एक करोड़ चौवन लाख आठ हजार मात्र)		

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDM-I, दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- (2) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सम्बन्ध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 1,54,08,000/- (₹0 एक करोड़ चौवन लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250001010500-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटीगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 22-07-2026
11:43:15

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या:-860(1)/एक-10-2026. तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।
- 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवटन दिनांक-24/07/2026

प्रेषण संख्या:- 860
आवटन आदेश संख्या:- 001-860
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (द्वैवि विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेतर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रणामी	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	1050000 1050000	1050000 1050000
2	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2354000 2354000	2354000 2354000
3	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2058000 2058000	2058000 2058000
4	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	148000 148000	148000 148000
5	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	9798000 9798000	9798000 9798000
	योग	वर्तमान प्रणामी	15408000 15408000	15408000 15408000

महायोग- (वर्तमान आवटन):-
महायोग- (प्रणामी आवटन):-

रूपया एक करोड़ चौवन लाख आठ हजार
रूपया एक करोड़ चौवन लाख आठ हजार

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी